

फैक्स/ईमेल
स्पीड पोस्ट

पत्रांक-सी/न्याय-5620/2015...../

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक-जनवरी, 2016

विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-18942/2015, समीर कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-18.01.2016 को पारित आदेश के अक्षरशः अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने पर्यावरण को ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभावों से मुक्त करने हेतु सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-18942/2015, समीर कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-18.01.2016 को पारित आदेश द्वारा निम्न निदेश जारी किए हैं:-

"In view of the facts and circumstances of the case and since the State authorities have not been able to satisfy us that desired and adequate steps have been taken by them to control the menace of noise pollution which has the effect of violating rights of a citizen to live with dignity and peace, we issue following directions to be followed strictly in all areas within the municipal limits of the State of Bihar;

(A) Re: Loudspeakers

(1) The noise level, at the boundary of the public place, where loudspeaker or public address system or any other noise source is being used, shall not exceed 10 dB(A) above the ambient noise standards for the area or 75 dB(A), whichever is lower.

(2) No one shall beat a drum or tom-tom or blow a trumpet or beat or sound any instrument or use any sound amplifier between 10.00 PM and 6 AM.

(3) The peripheral noise level of privately-owned sound system shall not exceed more than 5 dB(A) than the ambient air-quality standard specified for the area, wherein it is used, at the boundary of the private place.

(B) Re: Vehicular Noise. No horn should be allowed to be used between 10 PM and 6 AM) in residential areas except in exceptional circumstances.

(C) Re: Fire Crackers. (1) There shall be no bursting of fire crackers of causing noise beyond the prescribed level between 6 AM and 10 PM.

(2) There shall be a complete ban on bursting sound-emitting firecrackers between 10 PM and 6 AM."

माननीय न्यायालय का स्पष्ट निदेश है कि :-

"It is made clear that for the purpose of enforcing the directions issued by this Court, there would be no distinction between religious functions or celebrations of any other kind. The directions are required to be followed strictly without any demur."

उक्त आदेश की प्रति उच्च न्यायालय, पटना के वेबसाइट-www.patnahighcourt.bih.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सभी नगर निगम/नगर निकाय क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जाय। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन की स्थिति का नियमित अनुश्रवण किया जाय तथा उक्त आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- सी/न्याय-5620/2015...../

पटना, दिनांक- जनवरी, 2016

ई-मेल

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी संबंधितों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का परिचारित कर निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।


ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- सी/न्याय-5620/2015-751...../

पटना, दिनांक-27 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार प्रदूषण नियंत्रण पंषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।



27.1.16

सरकार के प्रधान सचिव